बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–पी.पी.एम.–89/2012– 3065 /कृ0, पटना, दिनांक 14-07-2016

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्वर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्वर, लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्वर के आधारभूत संरचना के लिए पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत 562.50 करोड़ रूपये को पुनरीक्षित करते हुये कुल 683.392 करोड़ रूपये (छः अरब तेरासी करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रूपये) परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए वर्ष 2016–17 में तत्काल 40.40 करोड़ रूपये (चालीस करोड़ चालीस लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या– 2803, दिनांकः 29.05.2013 के क्रम में किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्वर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्वर, लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्वर के आधारभूत संरचना के लिए पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत 562.50 करोड़ रूपये को पुनरीक्षित करते हुये कुल 683.392 करोड़ रूपये (छः अरब तेरासी करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रूपये) परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए वर्ष 2016–17 में तत्काल 40.40 करोड़ रूपये (चालीस करोड़ चालीस लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत 40.40 करोड़ रूपये (चालीस करोड़ चालीस लाख रूपये) का व्यय मुख्य शीर्ष– 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना, मांग सं०–1, उपशीर्ष–0103–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड P2415017890103, राज्य योजना स्कीम कोड– AGR-5042 अंतर्गत विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद में वर्ष 2016–17 में उपबंधित 40.40 करोड़ रूपये से विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि 40.40 करोड़ रूपये (चालीस करोड़ चालीस लाख रूपये) की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। स्वीकृत राशि की निकासी विपत्र बी0टी0सी0 फार्म – 42 में तैयार की जायेगी। उक्त राशि को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पी0एल0 खाता में अंतरित की जायेगी। स्वीकृत राशि के अधीन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकेगा। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या– 653 दिनांकः 25.01.2016 के आलोक में सेंटेज देय होगी।

4. आवश्यकता होने पर यथा आवश्यक निर्णय प्रशासी विभाग द्वारा लिया जा सकता है।

5. बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी तैयार किया जायेगा तथा कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 14.10.2014 को स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–89/2012 के पृ0सं0–105/टि. पर प्राप्त है।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि० दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्यादेश में विभागीय माननीय मंत्री जी का अनुमोदन संचिका संख्या पी0पी0एम–89/2012 के पृ0सं0–208/टि. पर दिनांक 22.06.2016 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ संख्या– 211/टि0 पर दिनांकः 01.07.2016 पर प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम) 7/16

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3065 /कृ0, पटना, दिनांक 14-07-2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/7/16

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3065 /कृ0, पटना, दिनांक 14-07-2016

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/7/16

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3065 /कृ0, पटना, दिनांक 14-07-2016

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/7/16

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3065 /कृ0, पटना, दिनांक 14-07-2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/संयुक्त कृषि निदेशक (मु0), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग (मुख्यालय) के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा/बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

13/7/16

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।